राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/10 ए   जयपुर, दिनांक : 24.4.97

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/10, दिनांक 31 मार्च, 1997 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्र.सं.2 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जायेगा :–

"2	यात्री यान	
	(i) तिपहिया यान	35/– रु. प्रति दिन
	(ii) चार पहिया वाले यान	
	(क) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 5 तक की क्षमता वाले	40/– रु. प्रति दिन
	(ख) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 5 से अधिककी किन्तु ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 12 से अनधिक की सीट क्षमता वाले	80/– रु. प्रति दिन
	(ग) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 12 से अधिक किन्तु ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 20 की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	300/– रु. प्रति दिन
	(ii) साधारण यान से भिन्न	500/– रु. प्रति दिन
	(घ) ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 20 से अधिक की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	600/– रु. प्रति दिन
	(ii) साधारण यान से भिन्न	1000/– रु. प्रति दिन

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव